

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई (PMKSY) योजना के घटक “पर ड्रॉप मोर क्रॉप”

(माइक्रो इरीगेशन) योजनांतर्गत:-

क्रमांक	योजना	विवरण
1	उद्देश्य	❖ योजना का उद्देश्य कम पानी से अधिक क्षेत्र को सिंचित कर अधिक गुणवत्ता युक्त उत्पादन करना।
2	योजना	❖ इस योजना में सभी वर्ग के हितग्राहियों को ड्रिप/स्प्रिंकलर संयंत्र पर योजना के दिशा-निर्देश अनुसार अनुदान देने का प्रावधान है।
3	हितग्राही	❖ सभी वर्ग को 0.40 हेक्टर .से 5.00 हेक्टर .तक लाभ देने का प्रावधान है।
4	योजना इकाई	❖ ड्रिप, स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर
5	इकाई लागत	❖ भारत सरकार की गाइडलाइन के पृष्ठ क्र० 8,9,10,11,12 एवं 13 अनुसार है जो संलग्न है।
6	अनुदान	❖ सभी वर्ग के लघु/सीमांत कृषक 55 प्रतिशत अनुदान एवं सभी वर्ग के बड़े कृषक को 45 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।
7	चयन प्रक्रिया	❖ कृषक द्वारा MPFSTS पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जाता है।
8	संपर्क	❖ संबंधित जिले के विकासखण्ड स्तर के अधिकारी ग्रा.उ.वि.अधि/.वरि.उ.वि.अधि .एवं उप/सहायक संचालक उद्यान के अधिकारी ।
9	दस्तावेज	❖ फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1 नकल, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि।
10	पात्रता किन-किन को है	❖ सभी वर्ग के कृषक को योजना में लाभ लेने की पात्रता है।

